

न्यायालय तहसीलदार राजगढ़ जिला अलवर (राज0)

प्रकरण सं0 119/2022

तारीख दायर :-04.03.2022

दिनांक निर्णय :-15.03.2022

सरकार जरिये पटवारी हल्का भजेड़ा तहसील राजगढ़ जिला अलवर

(2022/22)

बनाम

- 1.भरतलाल पुत्र हीरा जाति मीना निवासी भजेड़ा तहसील राजगढ़ जिला अलवर
- 2.बनवारी पुत्र रामनारायण जाति मीना निवासी भजेड़ा तहसील राजगढ़ जिला अलवर

आज पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का भजेड़ा द्वारा राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई कि गैरसायलान भरतलाल पुत्र हीरा व बनवारी पुत्र रामनारायण जाति मीना निवासी भजेड़ा ने वाके ग्राम भजेड़ा के राजकीय चारागाह भूमि के आ0ख0न0 141 रकबा 0.70 हे0 पर सरसो की फसल काशतकर सम्वत् 2078 मे अतिक्रमण कर लिया है।

राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को नोटिस जारी किया गया। गैरसायलान की ओर से भरतलाल उपस्थित आया। गैरसायलान की ओर से नोटिस का जवाब व कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये। गैरसायलान के विरुद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाकर बेदखली के आदेश दिये जाते है, साथ ही सरह लगान के 11.34 रु की 50 गुणा राशि 567/-रु पेनल्टी अधिरोपित की जाती है। तहसील राजस्व लेखाकार राजगढ़ व पटवारी हल्का भजेड़ा को राजस्व लेखों में पेनल्टी राशि की मांग कायमी हेतु लिखा जावे। पटवारी हल्का व भू0अ0 निरीक्षक को निर्देश दिये जाते है कि फसल को कब्जेराज लेकर, निलामी कार्यवाही कर वास्ते स्वीकृति प्रस्तुत करने हेतु लिखा जावे। अतिक्रमी को बेदखली कर पालना रिपोर्ट से अवगत करावे।

निर्णय दिनांक 15.03.2022 खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमा होकर नम्बर से कम हो।

(बाबूलाल मीना)
तहसीलदार राजगढ़
जिला अलवर

ले. सं. 4 वर्ष...2021.22
संख्या...06 पत्र...सं. 567/-
कायम किये गये।
[Signature]